

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक स03-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/2016/7336-96


दिनांक 10.5.17

-: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिपिक ग्रेड-द्वितीय को लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक 31.3.2016 में डेफर किये गये प्रकरणों पर विचार हेतु दिनांक 09.05.2017 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित लिपिक ग्रेड-द्वितीय को लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैंड(1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(10) 2800/-में पदोन्नत किया जाता है ।


क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्ग	रिक्ति की दिनांक	वर्तमान पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	19	श्री मुराद खाँ पुत्र श्री गनी खाँ	सामान्य	01.04.15	सनिअ पाली	इनकी वरिष्ठता लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर श्री भँवर लाल से उपर एवं श्री औमप्रकाश रती से नीचे रहेगी।
2.	35	श्री दिनेश खीवसंरा पुत्र श्री सोहन लाल	सामान्य	01.04.15	सनिअ जोधपुर	इनकी वरिष्ठता लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर श्री तनवीर हुसेन से उपर एवं श्री राकेश भाकर से नीचे रहेगी।
3.	80	श्री दिनेश पुत्र श्री गणपत राम	सामान्य	01.04.15	सनिअ सीकर	इनकी वरिष्ठता लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर श्री जितेन्द्र माथुर से उपर एवं श्री रवि कुमार से नीचे रहेगी।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उक्त कार्मिकों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।


(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, प्रथम/द्वितीय अभियोजन निदेशालय ।
5. सम्बन्धित कार्मिक ।
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय ।
7. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर